"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2015—वैशाख 11, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शालिनी इंगले पति श्री नरेन्द्र इंगले, आयु 45 वर्ष, निवासी मकान नं. 156, चन्द्राकर गली, गायत्री मंदिर वार्ड क्र. 25, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेज/रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम सुनन्दा इंगले दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शालिनी इंगले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शालिनी इंगले पति श्री नरेन्द्र इंगले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती सुनन्दा इंगले पति-श्री नरेन्द्र इंगले निवासी-मकान नं. 156, चन्द्राकर गली, गायत्री मंदिर वार्ड क्र. 25, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती शालिनी इंगले पति-श्री नरेन्द्र इंगले निवासी-मकान नं. 156, चन्द्राकर गली, गायत्री मंदिर वार्ड क्र. 25, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार मिश्रा (Pradeep Kumar Mishra) आ. स्व. श्री के. एन. मिश्रा (Late Shri K. N. Mishra) उम्र 47 वर्ष, निवासी-221/सी, एन. बी. आर., रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के समस्त रिकार्ड में मेरा नाम प्रदीप कुमार (Pradeep Kumar) अंकित है जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा पूरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा (Pradeep Kumar Mishra) अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रदीप कुमार मिश्रा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रदीप कुमार मिश्रा आ. स्व. श्री के. एन. मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रदीप कुमार (Pradeep Kumar)
आ. स्व. श्री के. एन. मिश्रा
(Late Shri K. N. Mishra)
Resi-Quarter No. 221/C, NBR,
Ruabandha Sectar, Bhilai
Tahsil & Distt. Durg (C. G.)

नया नाम

प्रदीप कुमार मिश्रा
(Pradeep Kumar Mishra)
आ. स्व. श्री के. एन. मिश्रा
(Late Shri K. N. Mishra)
Resi-Quarter No. 221/C, NBR,
Ruabandha Sectar, Bhilai
Tahsil & Distt. Durg (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनुसोइया सोनबोईर पति श्री लक्ष्मण सिंह सोनबोईर, उम्र 49 वर्ष, निवासी-प्लांट नं.-10, मैत्रीकुंज रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई स्टील प्लांट के पर्सनल रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती अनुसोईया बाई पति श्री लक्ष्मण सिंह सोनबोईर दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अनुसोइया सोनबोईर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अनुसोइया सोनबोईर पति श्री लक्ष्मण सिंह सोनबोईर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अनुसोईया बाई
पति-श्री लक्ष्मण सिंह सोनबोईर
निवासी-प्लाट नं. 10, मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अनुसोइया सोनबोईर
पति-श्री लक्ष्मण सिंह सोनबोईर
निवासी-प्लाट नं. 10, मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. M. Laxmi W/o Shri M. Jagdishwar Rao, उम्र 53 वर्ष, निवासी-प्लाट नंबर 62, आवंति पार्क के पास, मैत्रीकुंज (प्रा), रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं गृहिणी हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक अंकसूची, प्रमाण पत्र में M. Laxmi दर्ज है परन्तु कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम M. Lakshmi दर्ज है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम M. Laxmi रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे M. Laxmi W/o Shri M. Jagdishwar Rao के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

M. Lakshmi
W/o Shri M. Jagdishwar Rao
R/o Plot No. 62, Near Awanti Park,
Maitri Kunj (P) Risali, Bhilai
Tah. & Distt. Durg (C. G.)

नया नाम

M. Laxmi
W/o Shri M. Jagdishwar Rao
R/o Plot No. 62, Near Awanti Park,
Maitri Kunj (P) Risali, Bhilai
Tah. & Distt. Durg (C. G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शुकदेव प्रसाद गवेल पिता श्री दयाशंकर, उम्र 58 वर्ष, जाति गवेल निवासी-क्वाटर नं.-ई/41, सी. एस. ई. बी. कालोनी दर्री, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही नाम शुकदेव प्रसाद गवेल है जो मेरे कक्षा आठवीं के मूल अंक सूची में दर्ज है जबकि मेरे सर्विस अभिलेख एवं दस्तावेज में त्रुटिवश सुखदेव प्रसाद गभेल दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शुकदेव प्रसाद गवेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शुकदेव प्रसाद गवेल पिता श्री दयाशंकर गवेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुखदेव प्रसाद गभेल
पति-स्व. श्री दयाशंकर गवेल
निवासी-क्वाटर नं.-ई/41, सी. एस. ई. बी. कालोनी
दर्री कोरबा (पश्चिम)
तह. कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

शुकदेव प्रसाद गवेल
पति-स्व. श्री दयाशंकर गवेल
निवासी-क्वाटर नं.-ई/41, सी. एस. ई. बी. कालोनी
दर्री कोरबा (पश्चिम)
तह. कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हिरदे राम साहू आत्मज स्व. देवनारायण साहू, आयु 55 वर्ष, निवासी-अम्बे निवास, प्लाट नं.-37/बी., अवधपुरी रिसाली भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम भूलवश कुन्ती बाई साहू दर्ज हो गया है जबकि उसके समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में कुन्ती साहू दर्ज है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तित कर नया नाम कुन्ती साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नी को कुन्ती साहू पति श्री हिरदे राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुन्ती बाई साहू (Kunti Bai Sahu)
पति-श्री हिरदे राम साहू
निवासी-प्लाट नं. 37/बी, अवधपुरी रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कुन्ती साहू (Kunti Sahu)
पति-श्री हिरदे राम साहू
निवासी-प्लाट नं. 37/बी, अवधपुरी रिसाली भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यशवन्त कुमार कटझरे पिता श्री धनेशराम कटझरे माता श्रीमती राजेश्वरीबाई कटझरे, उम्र 23 वर्ष, जाति कलार, निवासी बैजनाथ कालोनी बसन्तपुर राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम यशवन्त कुमार पिता श्री धनेशराम माता श्रीमती राजेश्वरीबाई उल्लेखित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम यशवन्त कुमार कटझरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे यशवन्त कुमार कटझरे पिता श्री धनेशराम कटझरे माता श्रीमती राजेश्वरीबाई कटझरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

यशवन्त कुमार (Yashvant Kumar)
पिता-श्री धनेशराम (Dhanesh Ram)
माता-श्रीमती राजेश्वरीबाई
(Rajeshwari Bai)
निवासी-बैजनाथ कालोनी बसन्तपुर राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

यशवन्त कुमार कटझरे (Yashvant Kumar Katjhare)
पिता-श्री धनेशराम कटझरे (Dhanesh Ram Katjhare)
माता-श्रीमती राजेश्वरीबाई कटझरे
(Rajeshwari Bai Katjhare)
निवासी-बैजनाथ कालोनी बसन्तपुर राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जनक कुमार कटझरे पिता श्री धनेशराम कटझरे माता श्रीमती राजेश्वरीबाई कटझरे, उम्र 22 वर्ष, जाति कलार, निवासी बैजनाथ कालोनी बसन्तपुर राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम जनक कुमार पिता श्री धनेशराम माता श्रीमती राजेश्वरीबाई उल्लेखित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जनक कुमार कटझरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जनक कुमार कटझरे पिता श्री धनेशराम कटझरे माता श्रीमती राजेश्वरीबाई कटझरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जनक कुमार (Janak Kumar) पिता-श्री धनेशराम (Dhanesh Ram) माता-श्रीमती राजेश्वरीबाई (Rajeshwari Bai) निवासी-बैजनाथ कालोनी बसन्तपुर राजनांदगांव (छ. ग.)	जनक कुमार कटझरे (Janak Kumar Katjhare) पिता-श्री धनेशराम कटझरे (Dhanesh Ram Katjhare) माता-श्रीमती राजेश्वरीबाई कटझरे (Rajeshwari Bai Katjhare) निवासी-बैजनाथ कालोनी बसन्तपुर राजनांदगांव (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 23 मार्च 2014

प्रारूप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/969/प्रा-02/अ.वि.अ./2015.—यत: कि श्री नेमीचंद जैन आ. स्व. श्री लूनकरण जैन निवासी एम. 68 पद्मनाभपुर दुर्ग द्वारा श्री सच्चियाय माताजी मंदिर ट्रस्ट एम. 68 पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18-04-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सच्चियाय माताजी मंदिर ट्रस्ट-एम. 68 पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	31000-00 रु. नगद (अक्षरी-इकतीस हजार नगद)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

दुर्ग, दिनांक 13 अप्रैल 2014

प्रारूप
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक धमधा, मुख्यालय-दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/366/प्रा-02/अ.वि.अ./2015.—यत: कि श्री प्रकाश चंद मालू (महामंत्री) निवासी-26, महालक्ष्मी मार्केट, पंडरी, रायपुर (छ. ग.) द्वारा विचक्षण जैन विद्यापीठ, केवल्य धाम के समीप , ग्राम-कुम्हारी, तहसील-धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13-5-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	विचक्षण जैन विद्यापीठ, केवल्य धाम के समीप, ग्राम-कुम्हारी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	11,000.00 रु. नगद (अक्षरी-ग्यारह हजार नगद)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

जी. आर. मरकाम,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 13 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/2015/245.—संस्कृति बुनकर सहकारी समिति मर्या. खाला पंजीयन क्रमांक 2109 दिनांक 03-09-2004 वि. ख. अम्बिकापुर को छ. ग. सहकारी समितियॉं अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के प्रावधान के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत श्री एच. एस. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, अम्बिकापुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं तत्संबंधी अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है.

अत: मैं ए. के. मिंज, जिला उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत संस्कृति बुनकर सहकारी समिति मर्या. खाला पंजीयन क्रमांक 2109 दिनांक 03-09-2004 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-3-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. मिंज,
उप पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/स. पं. द. /परिसमापन./2015/82.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./312 दिनांक 05-10-2012 के द्वारा प्रदत्त दन्तेश्वरी आदि. परि. सहकारी समिति मर्या. दन्तेवाड़ा विकासखण्ड दन्तेवाड़ा जिला दन्तेवाड़ा पंजीयन क्रमांक/डी. आर./बी. टी. आर. 269 दिनांक 09-11-92 है को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री के. के. साहू (उप अंके.) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की अंतिम प्रतिवेदन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर संभाग जगदलपुर अतिरिक्त प्रभार सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दन्तेवाड़ा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/स. पं. द. /परिसमापन./2015/83.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2012/298/दन्तेवाड़ा दिनांक 25-09-2012 के द्वारा माता सोनादाई बुनकर सहकारी समिति मर्या. बारसूर विकासखण्ड गीदम जिला दन्तेवाड़ा पंजीयन क्रमांक/ए. आर./ DWD/64 दिनांक 16-12-2009 है को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री रितेश कुमार नाग (उप अंके.) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की अंतिम प्रतिवेदन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर संभाग जगदलपुर अतिरिक्त प्रभार सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दन्तेवाड़ा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/730.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/904 दिनांक 23-07-2007 के तहत् आदर्श महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. भरवीडीह पंजीयन क्रमांक 205 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री श्रीकांत शुक्ला उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत आदर्श महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. भरवीडीह पंजीयन क्रमांक 205 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/731.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/647 दिनांक 29-05-2006 के तहत् फल, फुल, साग सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या. गोढ़ी विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3957 दिनांक 14-09-2000 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत फल, फुल, साग सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या. गोढ़ी विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 3957 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/732.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1995/1750 दिनांक 24-06-1995 के तहत् बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नवागांव, विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2785 दिनांक 27-03-1985 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नवागांव, विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2785 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/733.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1644 दिनांक 01-12-2006 के तहत् आदर्श महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. परसदा (भरनी), विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 186 दिनांक 03-12-2004 को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. आर. भगत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् आदर्श महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. परसदा (भरनी), पंजीयन क्रमांक 186 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/734.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/71/1942 दिनांक 16-06-1971 के तहत् हिन्दुस्तान आटोमोबाइल सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2594 दिनांक 09-05-1960 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री ए. के. तारम अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् हिन्दुस्तान आटोमोबाइल सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2594 दिनांक 09-05-1960 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/735.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/905 दिनांक 23-07-2007 के तहत् जय मातादी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नेवसा पंजीयन क्रमांक 209 दिनांक 22-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री श्रीकांत शुक्ला उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत जय मातादी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. नेवसा पंजीयन क्रमांक 209 दिनांक 22-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/736.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/1747 दिनांक 23-08-2007 के तहत् बिलासा कोल ईंधन सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 203 दिनांक 17-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् बिलासा कोल ईंधन सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 203 दिनांक 17-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/737.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1015 दिनांक 15-05-2008 के तहत् रश्मि महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. ढेका पंजीयन क्रमांक 101 दिनांक 24-11-2000 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् रश्मि महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. ढेका पंजीयन क्रमांक 101 दिनांक 24-11-2000 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/738.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1047 दिनांक 15-05-2008 के तहत् सर्वमंगला मछुआ सहकारी समिति मर्या. बेलतरा पंजीयन क्रमांक 3554 दिनांक 07-11-1994 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एस. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् सर्वमंगला मछुआ सहकारी समिति मर्या. बेलतरा पंजीयन क्रमांक 3554 दिनांक 07-11-1994 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/739.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/903 दिनांक 23-07-2007 के तहत् महामाया महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. गढ़वट पंजीयन क्रमांक 206 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री श्रीकांत शुक्ला उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् महामाया महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. गढ़वट पंजीयन क्रमांक 206 दिनांक 21-02-2005 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/740.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/626 दिनांक 15-05-2007 के तहत् गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. पासीद पंजीयन क्रमांक 3792 दिनांक 28-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री श्रीकांत शुक्ला उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. पासीद पंजीयन क्रमांक 3792 दिनांक 28-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/741.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1995/1750 दिनांक 24-06-1995 के तहत् महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या. चाटापारा बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2570 दिनांक 27-11-1959 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री सी. पी. बाजपेयी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या. चाटापारा बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 2570 दिनांक 27-11-1959 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जीवित/2015/791.—आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या. मटियारी पं. क्र. 3580 दिनांक 12-01-1995 को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसमें समिति को दिनांक 17 नवम्बर 2014 को 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब प्राप्त हुआ है तत्संबंध में समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिनांक 05-02-2014 को की गई है, जिसमें संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है. अत: सदस्यों के हित में श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्या. मटियारी पं. क्र. 3580 दिनांक 12-01-1995 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित करता हूँ एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक/परि./2015/798.—मां भगवती महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. सीपत पं. क्र. 3640 दिनांक 09-03-1995 विकासखण्ड मस्तुरी जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/248/ दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् मां भगवती महिला मछुआ सहकारी समिति मर्या. सीपत पं. क्र. 3640 दिनांक 09-03-1995 विकासखण्ड मस्तुरी जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जी. डी. पाण्डेय सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक/परि./2015/802.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कटरा पं. क्र. 3134 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/585/ दिनांक 18-02-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कटरा पं. क्र. 3134 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री सी. पी. बाजपेयी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/858.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1995/1750 दिनांक 24-06-1995 के तहत् फर्शीपत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. पौसरी पंजीयन क्रमांक 3105 दिनांक 04-12-1979 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् फर्शीपत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. पौसरी पंजीयन क्रमांक 3105 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/861.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/2308 दिनांक 08-12-1975 के तहत् कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा पंजीयन क्रमांक 2724 दिनांक 19-07-1962 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिल्हा पंजीयन क्रमांक 2724 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/879.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1993/107 दिनांक 08-1-1993 के तहत् दुग्ध सहकारी समिति मर्या. रमतला पंजीयन क्रमांक 3189 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् दुग्ध सहकारी समिति मर्या. रमतला पंजीयन क्रमांक 3189 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 19 मार्च 2015

क्रमांक/परि./2015/920.—नवोदित मछुआ सहकारी समिति मर्या. मल्हार पं. क्र. 3202 दिनांक 12-11-1987 विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2042/ दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् नवोदित मछुआ सहकारी समिति मर्या. मल्हार पं. क्र. 3202 विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्रमांक/परि./2015/926.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कोरबी पं. क्र. 3866 दिनांक 19-06-1997 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/245/ दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. कोरबी पं. क्र. 3866 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. के. शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2015/999.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2053 दिनांक 15-10-2014 के तहत् महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. शंकरनगर बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 246 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. डी. केशरवानी, उप अंकेक्षक बिल्हा जिला बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. शंकरनगर बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 246 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक/परि./2015/1000.—पत्थर गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बांकीघाट, विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर पं. क्र. 3879 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/592/ दिनांक 9-2-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् पत्थर गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बांकीघाट, विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर पं. क्र. 3879 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/489.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सुंदर प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. केम्प-1, भिलाई पं. क्र. 2775 दिनांक..............को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 144 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत सुंदर प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. केम्प-1, भिलाई पं. क्र. 2775 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी

सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. एस. कश्यप, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/491.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत गोपी ग्वाल प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2943 दिनांक 12-4-2010 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 160 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत गोपी ग्वाल प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2943 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. एस. कश्यप, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/492.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सुंदरा प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. जुनवानी, भिलाई पं. क्र. 2867 दिनांक 28-02-2008 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 166 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत सुंदरा प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. जुनवानी, भिलाई पं. क्र. 2867 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. एस. कश्यप, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/493.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत विशाल प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2848 दिनांक 22-05-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 167 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत विशाल प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2848 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. एस. कश्यप, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/494.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अंजली प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2856 दिनांक 29-09-2007 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 168 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत अंजली प्राथमिक सहकारी उप भंडार मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2856 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. एस. कश्यप, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/495.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति मर्या. छावनी, भिलाई, पं. क्र. 2771 दिनांक 01-03-2004 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 175 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मछुवा सहकारी समिति मर्या. छावनी, भिलाई, पं. क्र. 2771 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. एस. कश्यप, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/496.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत विकास मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्या. भिलाई-3, पं. क्र. 2198 दिनांक 09-03-1981 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 177 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत विकास मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्या. भिलाई-3, पं. क्र. 2198 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एच. आर. चन्द्राकर, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/497.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत यूनाइटेड मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2234 दिनांक 29-11-1982 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 178 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत यूनाइटेड मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2234 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एच. आर. चन्द्राकर, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/498.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत सिंटरिंग प्लांट सेलेरी अर्नर साख सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 1845 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 183 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत सिंटरिंग प्लांट सेलेरी अर्नर साख सहकारी समिति मर्या. भिलाई पं. क्र. 1845 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/499.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत स्टील श्रमिक साख सहकारी समिति मर्या. कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2236 दिनांक 09-12-1989 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 184 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत स्टील श्रमिक साख सहकारी समिति मर्या. कृष्णा नगर, सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2236 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/500.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नगर पालिका निगम हरिजन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 458 दिनांक............ को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 186 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत नगर पालिका निगम हरिजन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 458 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/501.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत वैदिक साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2837 दिनांक 26-12-2006 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 187 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत वैदिक साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2837 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/502.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत स्टील श्रमिक विकास साख सहकारी समिति मर्या. सेक्टर-2, भिलाई, पं. क्र. 2602 दिनांक 09-03-1996 को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 188 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत स्टील श्रमिक विकास साख सहकारी समिति मर्या. सेक्टर-2, भिलाई, पं. क्र. 2602 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/503.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत टोबेको कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. पुलगांव, दुर्ग, पं. क्र. 2502 दिनांक .... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 189 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत टोबेको कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. पुलगांव, दुर्ग, पं. क्र. 2502 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/504.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत डी. एम. सी. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. कुम्हारी, दुर्ग, पं. क्र. 1998 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 190 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत डी. एम. सी. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. कुम्हारी, दुर्ग, पं. क्र. 1998 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/505.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर मा. शा. साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 1452 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 191 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर मा. शा. साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 1452 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/506.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रमिक सहकारी समिति मर्या. जामुल, पं. क्र. 2586 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 193 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रमिक सहकारी समिति मर्या. जामुल, पं. क्र. 2586 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/507.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कामगार दूरसंचार सहकारी समिति मर्या. हथखोज, भिलाई पं. क्र. 2249 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 200 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत कामगार दूरसंचार सहकारी समिति मर्या. हथखोज, भिलाई पं. क्र. 2249 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. आर. गजभिये, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/508.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत श्रेया महिला कुटीर उद्योग सहकारी समिति मर्या. कुरूद, पं. क्र. 2834 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 201 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत श्रेया महिला कुटीर उद्योग सहकारी समिति मर्या. कुरूद, पं. क्र. 2834 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/509.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत किशोर कीर्ति कला संगीत कला सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2165 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 203 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत किशोर कीर्ति कला संगीत कला सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2165 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/510.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय दुर्गा पत्थर मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. पाटन, पं. क्र. 2594 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 204 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जय दुर्गा पत्थर मुरूम खदान सहकारी समिति मर्या. पाटन, पं. क्र. 2594 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/511.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय हिन्द महिला कुटीर उद्योग सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2615 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 207 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जय हिन्द महिला कुटीर उद्योग सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2615 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/512.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत बीडी उद्योग मजदूर सहकारी समिति मर्या. धमधा, पं. क्र. 2547 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 212 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत बीडी उद्योग मजदूर सहकारी समिति मर्या. धमधा, पं. क्र. 2547 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/513.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी मजदूर सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2245 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 213 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी मजदूर सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2245 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/514.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत मजदूर कल्याण सहकारी समिति मर्या. खुर्सीपार, भिलाई पं. क्र. 2496 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 215 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत मजदूर कल्याण सहकारी समिति मर्या. खुर्सीपार, भिलाई पं. क्र. 2496 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/515.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जन कल्याण साईकिल स्कूटर स्टैंड सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2730 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 216 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जन कल्याण साईकिल स्कूटर स्टैंड सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2730 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/516.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत इंदिरा गांधी मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. रूंआबांधा, भिलाई पं. क्र. 2732 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 217 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत इंदिरा गांधी मसाला उद्योग सहकारी समिति मर्या. रूंआबांधा, भिलाई पं. क्र. 2732 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री अजय प्रधान, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/518.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जिला पशुधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 139 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 219 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जिला पशुधन क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 139 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/519.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत वेद माता ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. अंजोरा, पं. क्र. 2366 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 220 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत वेद माता ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या. अंजोरा, पं. क्र. 2366 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/520.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खनिज एवं औद्योगिक मजदूर सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2242 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 224 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खनिज एवं औद्योगिक मजदूर सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2242 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/521.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत हितकारिणी प्री तेल मिट्टी तेल सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2540 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 226 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत हितकारिणी प्री तेल मिट्टी तेल सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2540 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/522.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जागृति महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. सेक्टर-6, भिलाई, पं. क्र. 2585 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 228 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जागृति महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या. सेक्टर-6, भिलाई, पं. क्र. 2585 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/523.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय दुर्गा हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. जेवरा सिरसा पं. क्र. 153 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 229 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जय दुर्गा हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्या. जेवरा सिरसा पं. क्र. 153 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/524.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत ईंट खपरा पत्थर सीमेंट आदिवासी सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं. क्र. 2780 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 231 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत ईंट खपरा पत्थर सीमेंट आदिवासी सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं. क्र. 2780 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/525.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत विश्वकर्मा मिट्टी तेल विक्रेता सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2483 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 233 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत विश्वकर्मा मिट्टी तेल विक्रेता सहकारी समिति मर्या. सुपेला, भिलाई पं. क्र. 2483 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/526.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुर्ग जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 123 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 236 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत दुर्ग जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 123 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/527.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत दुर्ग जिला मोटर कामगार कोआपरेटिव्ह सोसाइटी दुर्ग, पं. क्र. 1437 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 236 दुर्ग दिनांक 15-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत दुर्ग जिला मोटर कामगार कोआपरेटिव्ह सोसाइटी दुर्ग, पं. क्र. 1437 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री ईश्वर प्रसाद देवांगन, व. सनि. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/452.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत श्री राम जानकी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. खुर्सीपार, जोन-2, भिलाई, पं. क्र. 2392 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 236 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत श्री राम जानकी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. खुर्सीपार, जोन-2, भिलाई, पं. क्र. 2392 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/453.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जनरल आर्डर सप्लायर सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2361 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत जनरल आर्डर सप्लायर सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2361 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/454.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. कुटेलाभाठा, पं. क्र. 152 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत आदिवासी गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. कुटेलाभाठा, पं. क्र. 152 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/455.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत संगम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. मैत्रीनगर, सुपेला, भिलाई, पं. क्र. 2735 दिनांक............... को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत संगम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. मैत्रीनगर, सुपेला, भिलाई, पं. क्र. 2735 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/457.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत गुरूनानक प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. केम्प-2, भिलाई, पं. क्र. 2876 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत गुरूनानक प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. केम्प-2, भिलाई, पं. क्र. 2876 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/459.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत भिलाई इंजीनियरिंग को-आपरेटिव्ह सो. सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2246 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत भिलाई इंजीनियरिंग को-आपरेटिव्ह सो. सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पं. क्र. 2246 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/460.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत औद्योगिक तकनीकी सहकारी समिति मर्या. दीपक नगर दुर्ग, पं. क्र. 2545 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत औद्योगिक तकनीकी सहकारी समिति मर्या. दीपक नगर दुर्ग, पं. क्र. 2545 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/461.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत भिलाई वायर्स साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2250 दिनांक.............. को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 27 दुर्ग दिनांक 07-01-2014 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं किरण गुप्ता, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत भिलाई वायर्स साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्र. 2250 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाती हूं तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री सी. एल. गहिरवारे, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्रमांक/परि. /2015/.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)के आदेश क्र./परि./2015/77 बिलासपुर दिनांक 6-1-2015 द्वारा समिति का नाम शक्ति दाई कामगार सह. समि. मर्या. बिटकुला पं. क्र. 272 दिनांक ....को परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक/Q /2014/परिसमापन/.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् आने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर अधोवर्णित संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं के रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
1.	सृष्टि कामगार सहकारी समि. मर्या. सीपत	248	आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कक्ष क्र. 14 प्रथम तल पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)

आर. सी. ध्रुव,
सहकारिता विस्तार अधिकारी

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च 2015

क्रमांक/Q /2014/परिसमापन/.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् आने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर अधोवर्णित संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं के रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
1.	बिलासपुर कृषक कल्याण स. स. मर्या. परसदा	3952	एस. के. तिवारी स. नि.	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कक्ष क्र. 14 प्रथम तल पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)

एस. के. तिवारी,
स. नि./परिसमापक.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/Q /2015/परिसमापन.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
1.	को-आप. ईम्प्लाइज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर	409	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर
2.	एस. एस. साख सहकारी समिति मर्या. गोलबाजार बिलासपुर	149	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर
3.	गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारीगोढ़ी	125	अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-बिल्हा	उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर

अरूण कुमार शर्मा,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.